पत्रांक–2ब० / जला०–07–01 / 2007(खंड–I) 118 / न०वि०एवंआ०वि०

*स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक एवं ई–मेल

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, दानापुर।

पटना, दिनांक– 19/3/19

विषयः– लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित दानापुर शहरी जलापूर्ति योजनान्तर्गत House Connection हेतु विभागीय राज्यादेश सं०– 244, दिनांक– 09.03.2017 द्वारा स्वीकृत ₹52.21898 लाख में से विभागीय आवंटनादेश सं०– 245, दिनांक– 09.03.2017 द्वारा ₹26.10949 लाख आवंटन के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवशेष राशि ₹26.10949 लाख (छबीस लाख दस हजार नौ सौ उनचास रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या– 1409, दिनांक– 30.03.2007 के द्वारा दानापुर शहरी जलापूर्ति योजना हेतु ₹712.78379 लाख स्वीकृत किया गया था। इस योजना की कार्यकारी एजेंसी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है।

2. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पत्रांक– 67, दिनांक– 17.02.2017 के द्वारा दानापुर शहरी जलापूर्ति योजनान्तर्गत House Connection हेतु ₹52.21898 लाख (बावन लाख एक्कीस हजार आठ सौ अनठानबे रु०) मात्र का प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त के आलोक में विभागीय राज्यादेश सं०– 244, दिनांक– 09.03.2017 द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹52.21898 लाख (बावन लाख एक्कीस हजार आठ सौ अनठानबे रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए विभागीय आवंटनादेश सं०– 245, दिनांक– 09.03.2017 द्वारा ₹26.10949 लाख आवंटित किया जा चुका है।

4. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर निजामत के पत्रांक– 734, दिनांक– 17.03.2019 द्वारा उक्त आवंटित राशि के विरूद्ध ₹25.60860 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख करते हुए अवशेष राशि ₹26.10949 लाख आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

5. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर निजामत के उक्त अनुरोध के आलोक में दानापुर शहरी जलापूर्ति योजनान्तर्गत 2447 घरों में House Connection हेतु अवशेष राशि ₹26.10949 लाख (छबीस लाख दस हजार नौ सौ उनचास रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप विभागीय राज्यादेश सं०– 157, दिनांक– 19-3-19 के आलोक में निम्नवत आवंटित की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	विभागीय राज्यादेश/ आवंटनादेश सं० एवं दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	नगर परिषद, दानापुर	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित दानापुर शहरी जलापूर्ति योजनान्तर्गत 2447 घरों में नल जल संयोजन कार्य।	244/245, दिनांक– 09.03.2017	52.21898	26.10949	26.10949	0

अर्थात कुल आवंटित राशि ₹26.10949 लाख (छबीस लाख दस हजार नौ सौ उनचास रु०) मात्र।

6. उक्त आवंटित ₹26.10949 लाख (छबीस लाख दस हजार नौ सौ उनचास रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर निजामत होंगे,** जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा। राशि की निकासी के उपरांत संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में राशि संधारित की जायेगी। **तत्पश्चात् कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर निजामत द्वारा कार्यकारी एजेंसी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को राशि हस्तांतरित की जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

7. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 61, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

8. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

9. योजना के कार्यान्वयन का त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

10. उक्त आवंटित राशि ₹26.10949 लाख (छबीस लाख दस हजार नौ सौ उनचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–192– नगर पालिकाओं/नगर परिषद्ों को सहायता –उप शीर्ष 0101– पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– 48-2215011920101, विषय शीर्ष 0101.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत की जाएगी।

11 **योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जायेगा :–**

(i) योजना का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जायेगा।

(ii) प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(iii) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(iv) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(v) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

12. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

13. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. जिला पदाधिकारी, पटना एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर निजामत द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जायेगा।

15. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/जिला पदाधिकारी, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

18.3.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/जला०–07–01/2007(खंड–I) 118 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–19.3.19

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी (नल–जल निश्चय योजना)/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम0आई0एस0 को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.03.19

सरकार के विशेष सचिव।

आलम.

आप्त
आज
19/3/19

पत्रांक–2ब०/जला०–07–01/2007(खंड–I) 157 /न०वि०एवंआ०वि०

*स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक एवं ई–मेल

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक– 19/03/19

विषयः– **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित दानापुर शहरी जलापूर्ति योजनान्तर्गत House Connection हेतु विभागीय राज्यादेश सं०– 244, दिनांक– 09.03.2017 द्वारा स्वीकृत ₹52.21898 लाख में से विभागीय आवंटनादेश सं०– 245, दिनांक– 09.03.2017 द्वारा ₹26.10949 लाख आवंटन के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवशेष राशि ₹26.10949 लाख (छबीस लाख दस हजार नौ सौ उनचास रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

विभागीय राज्यादेश संख्या– 1409, दिनांक– 30.03.2007 के द्वारा दानापुर शहरी जलापूर्ति योजना हेतु ₹712.78379 लाख स्वीकृत किया गया था। इस योजना की कार्यकारी एजेंसी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है।

2. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पत्रांक– 67, दिनांक– 17.02.2017 के द्वारा दानापुर शहरी जलापूर्ति योजनान्तर्गत House Connection हेतु ₹52.21898 लाख (बावन लाख एक्कीस हजार आठ सौ अनठानबे रु०) मात्र का प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त के आलोक में विभागीय राज्यादेश सं०– 244, दिनांक– 09.03.2017 द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹52.21898 लाख (बावन लाख एक्कीस हजार आठ सौ अनठानबे रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए विभागीय आवंटनादेश सं०– 245, दिनांक– 09.03.2017 द्वारा ₹26.10949 लाख आवंटित किया जा चुका है।

4. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर निजामत के पत्रांक– 734, दिनांक– 17.03.2019 द्वारा उक्त आवंटित राशि के विरूद्ध ₹25.60860 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख करते हुए अवशेष राशि ₹26.10949 लाख आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

5. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर निजामत के उक्त अनुरोध के आलोक में दानापुर शहरी जलापूर्ति योजनान्तर्गत 2447 घरों में House Connection हेतु अवशेष राशि ₹26.10949 लाख (छबीस लाख दस हजार नौ सौ उनचास रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	विभागीय राज्यादेश/ आवंटनादेश सं० एवं दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	नगर परिषद, दानापुर	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित दानापुर शहरी जलापूर्ति योजनान्तर्गत 2447 घरों में नल जल संयोजन कार्य।	244/245, दिनांक- 09.03.2017	52.21898	26.10949	26.10949	0

अर्थात कुल स्वीकृत राशि ₹26.10949 लाख (छबीस लाख दस हजार नौ सौ उनचास रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत ₹26.10949 लाख (छबीस लाख दस हजार नौ सौ उनचास रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर निजामत होंगे,** जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक-354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा। राशि की निकासी के उपरांत संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में राशि संधारित की जायेगी। **तत्पश्चात् कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर निजामत द्वारा कार्यकारी एजेंसी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को राशि हस्तांतरित की जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

7. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496/वि(2), दिनांक-

22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 61, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

8. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

9. योजना के कार्यान्वयन का त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

10. उक्त स्वीकृत राशि ₹26.10949 लाख (छबीस लाख दस हजार नौ सौ उनचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–192– नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता –उप शीर्ष 0101– पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– 48-2215011920101, विषय शीर्ष 0101.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत की जाएगी।

11 **योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जायेगा :–**

(i) योजना का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जायेगा।

(ii) प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(iii) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(iv) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(v) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

12. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/जला०–07–01/2007(खंड–I) के पृष्ठ सं०–41........../टि० पर दिनांक–18·3·2019.... को प्राप्त है एवं सक्षम प्रधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–42...../टि० पर दिनांक– ...18·3·2019 को प्राप्त है ।

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. जिला पदाधिकारी, पटना एवं कार्यपालक पदधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर निजामत द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जायेगा।

16. इसकी सूचना प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/जिला पदाधिकारी, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर निजामत/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

18·03·19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/जला०–07–01/2007(खंड–I) 157 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–19/03/19

प्रतिलिपिः– प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर निजामत/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी (नल–जल निश्चय योजना)/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम0आई0एस0 को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18·03·19

सरकार के विशेष सचिव।